#### 

प्रेषक,

डॉ0 बी0 राजेन्दर सरकार के अपर मुख्य सचिव

सेवा में

<u>सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव</u> सभी विभागाध्यक्ष पुलिस महानिदेशक सभी प्रमण्डलीय आयुक्त सभी जिला पदाधिकारी

पटना-15, दिनांक-05•05-2025

विषयः— "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" का Master Circular के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना संख्या—3454 दिनांक—28.02.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 अधिसूचित है। उक्त नियमावली में अधिसूचना संख्या—2160 दिनांक—05.02.2025 द्वारा कतिपय संशोधन किये गये हैं।

उक्त संशोधन से संबंधित सभी अधिसूचनाएँ एक साथ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उक्त नियमावली के प्रावधानों के संदर्भ में कार्रवाई किये जाने के क्रम में प्रशासी विभागों / कार्यालयों में शंका की स्थिति उत्पन्न होने की सम्भावना होती है और इस क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग में कतिपय रेफरेन्स भी प्राप्त होते हैं।

2. वर्णित स्थिति में मूल नियमावली में विभिन्न अधिसूचनाओं द्वारा किये गये सभी संशोधनों को समावेशित कर Master Circular तैयार किया गया है। साथ ही उक्त नियमावली से संबंधित FAQs को भी संलग्न किया गया है।

3. सुलभ संदर्भ हेतु उक्त Master Circular की प्रति संलग्न है। अनुलग्नकः— यथोक्त।

(डॉ0 बी0 एफ्रिन्दर) सरकार के अपर मुख्य सचिव

# बिहार सरकार

# सामान्य प्रशासन विभाग

# बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024

(दिनांक–31.03.2025 तक यथासंशोधित)

Page 1 of 38

# बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024; संबंधित संशोधन नियमावलियाँ तथा इसके प्रावधानों की सूची—

1

क्र0	अधिसूचना /	बिहार वाहन चालक नियमावली से संबंधित	पृष्ठ
सं0	परिपत्र	अधिसूचना / परिपत्र	
1.	अधि0 सं0—3454 दि0—28.02.2024	बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024	पृष्ठ 03—09
	(दि0—31.03.2025 तक यथासंशोधित)	Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024.	पृष्ठ 1016
2.	अधि० सं०— 3454	बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024	पृष्ठ 17—19
	28.02.2024	Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024.	पृष्ठ 19–22
3.	अधि0 सं0—2160	बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024	पृष्ठ 23–26
	05.02.2025	Probation period of Bihar Government Servants (Ammendment) Rules, 2025.	पृष्ठ 26—30
4.	FAQ	(Frequently Asked Questions)	पृष्ठ 31–38

# बिहार सरकार <u>सामान्य प्रशासन विभाग</u> ।। अधिसूचना ।।

पटना--- 15 दिनांक--- 28.02.2024

संख्या—3⁄एम0—31⁄2023—सा0प्र0—.3454∕भारत—संविधान के अनुच्छेद—309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नव—नियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।– (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. परिमाषाएँ - जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में--

(i) "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;

(ii) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नव—नियुक्त व्यक्ति (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) ;

(iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;

(iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार;

(v) "विभाग" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्री विभाग;

(vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग;

(vii) "केन्द्रीय परीक्षा समिति" से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पर्षद के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति;

(viii) "विभागीय परीक्षा" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा;

(ix) "प्रवेशकालीन प्रशिक्षण" से अभिप्रेत है संबंधित नव—नियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण।

<sup>1</sup>[3. परिवीक्षा अवधि।– (1) (i) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प ज्ञापांक--2160 दिनांक--05.02,2025 द्वारा प्रतिस्थापित

(ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक भी 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।

(2) (i) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी, जिस तिथि को इनके द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जायेगा।

(ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा ⁄ मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी। परन्तु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा इन्हें बिपार्ड के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा।

(3) किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासी विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। तदुपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिपार्ड एवं अन्य प्रशासी विभागों के परामर्श से प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जायेगी। सभी संबंधित प्रशासी विभागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अनुशंसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निर्गत कर दिया जायेगा। सभी नव–नियुक्त सरकारी सेवक बिपार्ड द्वारा निर्धारित तिथि को ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे।

(4) संबंधी प्रशासी विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि में ही उनके प्रमाणपत्र का सत्यापन, चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन आदि से संबंधित कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।

(5) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों का फॉर्म-202 में योगदान बिपार्ड द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा तथा उनका HRMS में On boarding तथा आवश्यकतानुसार PRAN आबंटित कराने की कार्रवाई भी बिपार्ड द्वारा ही कराया जायेगा। इस आधार पर वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग / HRMS द्वारा निर्गत उनके वेतन पूर्जा के आधार पर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि के वेतन का भुगतान संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा।

(6) सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के उपरान्त विलम्ब से योगदान करने हेतु संबंधित प्रशासी विभाग की अनुमति लेनी होगी।

(7) बिपार्ड के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सन्न में अधिकतम 15 दिनों के विलम्ब तक ही सम्मिलित होने की अनुमति बिपार्ड द्वारा दी जा सकेगी। 15 दिनों से अधिक विलम्ब की स्थिति में संबंधित नव—नियुक्त सरकारी सेवक को बिपार्ड द्वारा आयोजित किये जाने वाले अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सन्न में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा, परन्तु इस स्थिति में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा उनकी परिवीक्षा अवधि विस्तारित की जायेगी।]

 प्रशिक्षण I— (1) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।

(2) प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी। (3) प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा⁄संवर्ग के कर्मियों (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) के लिए एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जायेगा–

> (क) प्रथम चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 02(दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme), जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ—साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों (आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सी0सी0ए0 रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक / सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाभ, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली, विधिक प्रबंधन एवं न्यायालयीय प्रक्रिया आदि) एवं अन्य सम—सामयिक विषयों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भारत--दर्शन का भी प्रावधान किया जा सकता है।

> (ख) द्वितीय चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 03(तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जायेगा। इस हेतु संबंधित नियंत्री विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा, जिनसे समन्वय स्थापित कर बिपार्ड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदण्ड (Module) निर्धारित किया जायेगा।

> (ग) तृतीय चरण- सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 06(छः) माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र सम्बद्धता (Field Attachment), जिसका निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग-अलग किया जायेगा। इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र में उन्हीं पदाधिकारियों के साथ सम्बद्ध किया जाय. जिनके दायित्व उनके सेवा से संबंधित दायित्वों से मिलते हों। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी को अपर समाहत्तां / भूमि सुधार उप-समाहत्तां के साथ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ, सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के साथ आदि। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों से अपने सेवा से संबंधित विषयों पर कुछ प्रकल्प (project) तैयार करने की भी अपेक्षा की जायेगी। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा भविष्य में स्वतंत्र प्रभार में धारित किये जाने वाले पद की कार्य प्रकृति की जानकारी के लिए उसके अधीनस्थ पदों का स्वतंत्र प्रभार देकर प्रशिक्षित किया जायेगा। उदाहरण के लिए- राजस्व अधिकारी को एक माह को अंचल निरीक्षक के पद का तथा एक माह अमीन/राजस्व कर्मचारी के पद का स्वतंत्र प्रभार प्रशिक्षण के क्रम में दिया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में प्रशिक्षणार्थियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है। (घ) चतुर्थ चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 01(एक) माह का अन्तिम सांस्थिक प्रशिक्षण, जिसे बिपार्ड द्वारा बिपार्ड में आयोजित किया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने प्रकल्प (project) पर प्रस्तूतीकरण (Presentation) देंगे। इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के विभिन्न विभागों में भी सम्बद्ध किया जायेगा।

(4) तृतीय चरण के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रशासी विभागों द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग–अलग नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा। सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों एवं बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों के लिए नियम पुस्तिका (Manual) तैयार करने की कार्रवाई की जायेगी।

(5) राज्य सरकार में नव–नियुक्त चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा।

(6) अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा/संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि/चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

<sup>2</sup>[(7) किसी सेवा/संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, सरकार, विभाग की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, विशिष्ट आदेश द्वारा, संबंधित सेवा/संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित कर सकेगी।

परन्तु, प्रशिक्षण अवधि के ऐसे विस्तार के उपरांत भी संबंधित कर्मी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष ही रहेगी।

# <sup>3</sup> [5. सेवा सम्पुष्टि एवं वरीयता का निर्धारण।—

(1) सेवा सम्पुष्टि— (i) आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी—

(क) नियम–4 में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा / Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना;

(ग) संबंधित सेवा⁄संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।

(ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी—

(क) नियम–4(6) के प्रावधान के आलोक में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा / Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना;

(ग) संबंधित सेवा/संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।

(iii) सरकारी सेवकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा / Assignment में अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना होगा क्योंकि इसकी

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प ज्ञापांक—2160 दिनांक—05.02.2025 द्वारा जोड़ा गया।

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> सामान्य प्रशासन विमाग संकल्प ज्ञापांक—2160 दिनांक—05.02,2025 द्वारा प्रतिस्थापित।

अधिमानता संबंधित सरकारी सेवकों के पारस्परिक वरीयता के निर्धारण में भी दिया जायेगा।

(2) वरीयता का निर्धारण— (i) बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद् द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को निम्नवत् अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) के अवरोही क्रम में किया जायेगा। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) की गणना निम्नवत् की जायेगी—

क्र.	परीक्षा /	कुल	कुल निर्धारित	अधिमानता	अधिमानता निर्धारण		
सं.	प्रशिक्षण	प्राप्तांक	अंक		का सूत्र		
1.	आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा	X	Y	66 %	(X/Y)×100 ×0.66= (X/Y) × 66		
2.	प्रवेशकालीन प्रशिक्षण						
	प्रथम चरण	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06= (A/B) × 06		
	द्वितीय चरण	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06= (A/B) × 06		
	तृतीय चरण	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06= (A/B) × 06		
	चतुर्थ चरण	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06= (A/B) × 06		
3.	विभागीय परीक्षा	С	D	10 %	(C/D)×100 ×0.10= (C/D) × 10		
	·	· · ·	100%	Z			

परन्तु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधासूची के अवरोही क्रम में किया जायेगा।

(ii) किसी पंचांग वर्ष में सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा⁄मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जायेगा।

(iii) आयोग की अनुशंसा से किसी सेवा/संवर्ग में सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) समान होने पर अथवा सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान की तिथि समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे और जन्म तिथि भी समान होने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।

(iv) माननीय न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश को छोड़कर, सीधी भर्त्ती के मामलों में, आबंटनादेश / नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता नियुक्ति वर्ष में निर्धारित की जायेगी। परन्तु आबंटनादेश / नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष / वर्षों में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में न होकर योगदान वाले~ पंचांग वर्ष में निर्धारित की जायेगी।

(v) किसी पंचांग वर्ष में किसी सेवा/संवर्ग के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे परन्तु सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में अन्य आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।

(vi) यदि किसी पदाधिकारी को उसके अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में समायोजित किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए नहीं गिनी जायगी।

परन्तु सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन समान/निम्नतर वेतनमान/वेतन-स्तर के पद पर किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए गिनी जायेंगी।

परन्तु यह भी कि सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन उच्चतर वेतनमान/वेतन-स्तर के पद पर किया जाय, तो समायोजन के क्रम में ही संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से, वरीयता निर्धारण के संदर्भ में भी विशिष्ट निर्णय लिया जायेगा।

(vii) किसी सेवा/संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जैसी पारस्परिक वरीयता प्रोन्नति के पहले निर्धारित थी।

(viii) किसी सेवा/संवर्ग में नियत तिथि के पूर्व निर्धारित वरीयता अपरिवर्तनीय होगी।]

6. शिथिलिकरण की शक्ति।— जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्राक्धानों को शिथिल किया जा सकेगा।

7. अभिभावी प्रभाव।— राज्य सरकार की किसी सेवा/संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा।

8. निर्वचन।-- इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात् सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा।

9. निरसन एवं व्यावृत्ति।– (1) राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमावलियों के संगत प्रावधान निरसित समझे जायेंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विभाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।

<sup>4</sup>[(क) सामान्य प्रशासन विभाग का परिपत्र संख्या—15784 दिनांक—26.08.1972 तथा 2763 दिनांक—23.02.2016 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।]

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> सामान्य प्रशासन विमाग संकल्प ज्ञापांक–2160 दिनांक–05.02.2025 द्वारा अन्तःस्थापित।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियमावली / परिपत्र / आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—3/एम0—31/2023—सा0प्र0—<u>3454</u>/पटना—15, दिनांक—28 फरवरी, 2024 प्रतिलिपि— ई—गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को आगामी बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ। ह0/—

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापाक-3/एम0-31/2023-सा0प्र0-3454/पटना--15, दिनाक--28 फरवरी, 2024 प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ह0/-

(डॉ0 बी0 राजेन्दर)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक—3 / एम0—31 / 2023—सा0प्र0—3454 / पटना—15, दिनाक—28 फरवरी, 2024 प्रतिलिपि— सचिव, राज्यपाल सचिवालय / सचिव, लोकायुक्त का कार्यालय / सचिव, बिहार विधान सभा / सचिव, बिहार विधान परिषद् / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग / सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग / सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ह0 / –

(डॉ0 बी0 राजेन्दर) सरकार के प्रधान सचिव।

# बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग

# अधिसूचना

# पटना--15, दिनांक--28 फरवरी, 2024

संख्या—3/एम०—31/2023सा0प्र0— **3455** / अधिसूचना संख्या— **3454** दिनांक— **28 फरवरी, 2024** का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत—संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, ह0/-

(डॉ0 बी0 राजेन्दर) सरकार के प्रधान सचिव।

# Government of Bihar General Administration Department

# :: <u>NOTIFICATION</u> ::

Patna-15, Dated- 28 February, 2024

No.-3/M-31/2023-GAD- <u>3454</u> / In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the probation period of newly appointed government servents-

1. Short title, extent and commencement.— (1) These Rules may be called as the "Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024."

(2) It shall extend to the whole State of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions.— In these Rules, unless otherwise required in the context,—

(i) "State Government" means the State Government of Bihar;

(ii) "Government Servant" means a person newly appointed, in the service of the Government of Bihar (except Bihar Judicial Service), according to the provisions prescribed in the relevant service/cadre rules;

(iii) "Appointing Authority" means the appointing authority as prescribed in the concerned service/cadre rules, constituted for the post held by the concerned Government servant;

(iv) "Cadre Controlling Authority" means the cadre controlling authority as prescribed in the concerned service/cadre rules constituted for the post held by the concerned Government servant.

(v) "Department" means the controlling department of the Government servant under consideration under these rules;

(vi) "Commission" means the Bihar Public Service Commission/Bihar Technical Service Commission/Bihar Staff Selection Commission or any other Commission constituted by the Government for recruitment of government employees;

(vii) "Central Examination Committee" means the Central Examination Committee under the control of the Board of Revenue for the conduct and regulation of departmental examinations for Government servants appointed to various posts;

(viii) **"Departmental Examination"** means the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee for the post held by the Government servant concerned;

(ix) **"Induction Training"** means the induction training as prescribed for the post held by the newly appointed government servant concerned.

<sup>1</sup>[3. Probation Period.— (1) (i) The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.

(ii) The government servants, appointed by provisions other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.

(2) (i) The probation period of government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall start on the date on which they join the induction training in Bipard.

(ii) The probation period of government servants, appointed by provisions other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall start on the date on which they join the service. Provided that, the concerned administrative department will ensure their joining in the next induction training session of Bipard.

(3) The list of recommended candidates based on the results of any competitive examination shall be made available by the Commission to the concerned administrative department. Thereafter, the date of induction training shall be decided by the General Administration Department in consultation with Bipard and other administrative departments. Appointment letters of the recommended candidates shall be issued by all concerned administrative departments before the above stipulated date after completing the necessary formalities. All newly appointed government servants shall join the induction training session on the date decided by Bipard.

(4) On the basis of the recommendations of the Commission, the relevant administrative department shall complete the formalities related to verification of certificates, verification of character and antecedents etc. of directly recruited government servants during their induction training period itself.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Substituted by Notification No.-2160 dated 05.02.2025

(5) The joining in Form-202, of the government servants, appointed through A direct recruitment on the basis of the recommendation of the Commission, shall be accepted by Bipard itself and the process of onboarding them on HRMS and allotment of PRAN shall also be facilitated by Bipard. On this basis, the Finance (Personal Claim Fixation Cell) Department shall issue their payslip and the concerned administrative department shall arrange for payment of the salary of induction training period from the headquarters itself.

(6) After the commencement of induction training in BIPARD, the government servants, appointed through direct recruitment, shall have to take permission from the concerned administrative department for late joining in induction training.

(7) A maximum of 15 days late joining in induction training shall be permited by BIPARD after commencement of training. In case of delay of more than 15 days, the concerned newly appointed government servant shall be given an opportunity to attend the next induction training session organized by BIPARD. Provided that in such situation, the probation period of the concerned employee shall be extended by the concerned administrative department.]

4. Training.— (1) A government servant appointed to the service on the recommendation of the Commission will have to undergo induction training as prescribed by the department during the probation period.

(2) During the training period, the concerned government servant will also have to pass the examination as prescribed by the training institute.

(3) The duration of induction training will be of 01 (one) year. The one year induction training for all service/cadre employees (except Bihar Judicial Service) selected by the Commission will be divided into the following stages-

(a) First Phase—Institutional Orientation Program of 02 (two) months for all services/cadres, will be organized by Bipard. Along with the personality development of the trainees, training regarding the general rules (Conduct Rules, Bihar Service Code, CCA Rules, Traveling Allowance Rules, Right to Information, Right to Bihar Public Services, Court Procedure, Legislation Making Procedure, Public/Service Grievance Redressal, Bihar Executive Rules, Retirement Benefits, Bihar Pension Rules, Bihar Finance Rules, Litigation Management and Court proceedings etc) and other contemporary subjects prevalent in the state government, will be imparted in this phase. Bharat Darshan will also be organised for trainees in this phase.

(b) Second phase — Service related specific training for 03 (three) months for all services/cadres, which will be organized by the concerned cadre controlling department in Bipard or in their own training institute. A nodal officer will be nominated by the concerned controlling department. Bipard will decide the module for training in this phase in consultation with this nodal officer.

(c) Third phase— Service related 06 (six) months field attachment for all services/cadres, will be decided separately by the concerned cadre controlling department in co-ordination with Bipard. It will be taken into consideration that the trainees should be associated with only those officials in the field, whose duties match with their service related duties. For example, the Revenue Officer should be attached with the Additional Collector/DCLR, the Block Development

Officer should be attached with the Deputy Development Commissioner, Assistant Engineer should be attached with Executive Engineer etc. The trainees will also be expected to prepare some projects on topics related to their respective services. In this phase, the trainees should be given independent charge of the posts, subordinate to the post on which he was appointed, to make him familiar with the job requirement of the post to be held by him. For example, a Revenue Officer shall be given independent charge of the post of Circle Inspector and Amin/Revenue employee for one month each as part of training. The provision for giving independent charge of BDO and CO during training is already prevalant for probationers of Bihar Administrative Service.

(d) Fourth phase— Final institutional training of 01 (one) month for all services/cadres will be organized by BIPARD in BIPARD. In this phase, the trainees will give a presentation of their project work. In this phase, they will also be attached to various departments of the Secretariat for secretariat training.

(4) For the third phase of training, separate manuals will be prepared by all the administrative departments in coordination with Bipard. The Secretary, Building Construction Department will prepare rule book (manuals) for all works departments in co-ordination with other works departments and Bipard.

(5) Health Department will prepare rule book (manuals) for Doctor appointed in the State Government in co-ordination with Bipard.

(6) The cadre contolling department may suitably amend the training period/phase for non-gazetted employees as per the specific requirement of service/cadre.

 $^{2}$  [(7) On the basis of specific requirements of a service/cadre, the State Government, on the recommendation of the Department and concurrence of General Administration Department, may extend, by specific order, the induction training period of newly appointed members of the said service/cadre.

Provided that, the probation period of such employees will remain one year even after such extension of induction training period.]

#### <sup>3</sup>[5. Service Confirmation and Determination of Seniority.—

(1) Service Confirmation- (i) The service of government servants, appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be confirmed after fulfilling the following criterion-

(a) Successful completion of all the phases of induction training as prescribed in Rule-4, which includes successful completion of the examinations/assignments as prescribed by the concerned training institute;

(b) Passing all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue;

(c) Fulfilling all other requirements as prescribed in the relevant service/cadre Rules.

(ii) The service of government servants, appointed on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be confirmed after fulfilling the following criterion-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Added by Notification No.-2160 dated 05.02.2025

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Substituted by Notification No.-2160 dated 05.02.2025

(a) Successful completion of the induction training as prescribed in Rule-4(6), which includes successful completion of the examinations/assignments as prescribed by the concerned training institute;

(b) Passing all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue;

(c) Fulfilling all other requirements as prescribed in the relevant service/cadre Rules.

(iii) Government servants shall have to try to score maximum marks in all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue as-well-as in the examinations/ assignments as prescribed by the concerned training institute as their due weightage shall also be given in determining their relative seniority.

(2) Determination of Seniority- (i) The relative seniority of government servants, recommended and recruited directly on the basis of Combined Competitive Examination conducted by Bihar Public Service Commission, shall be determined in the descending order of total marks (Z) obtained after giving due weightage to the marks obtained by them in the competitive examination of the Commission, examinations/assignments conducted by the concerned training institute in different phases as-well-as departmental examination conducted by Central Examination Committee, Board of Revenue. Weighted total marks (Z) shall be calculated as follows-

Sl. No.	Examination/ Training	Total Marks Obtained	Full Marks	Weightage	Formula for Weighted marks determination
1.	Competititive Examination Of The Commission	X	Y	66 %	(X/Y)×100 × 0.66= (X/Y) × 66
2.	Induction Training		······		
	First Phase	A	В	06 %	(A/B)×100×0.06= (A/B) × 06
	Second Phase	A	В	06 %	(A/B)×100×0.06= (A/B) × 06
	Third Phase	Α	В	06 %	(A/B)×100×0.06= (A/B) × 06
	Fourth Phase	A	В	06 %	(A/B)×100×0.06= (A/B)×06
3.	Departmental Examination	С	D	10 %	(C/D)×100×0.10= (C/D) × 10
			Total	100%	Z

Provided that the relative seniority of government servant, recommended and recruited directly on the basis of other competitive examinations conducted by Commission, shall be determined according to their descending merit number in the recommendation of the Commission.

(ii) The inter-se seniority of government servants appointed in a particular calendar year, on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be determined according to their respective date of joining.

(iii) When total weighted marks (Z) obtained by different employees, appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission, becomes equal, or, the date of joining of different employees, appointed on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), becomes same; the older employee according to his date of birth shall rank senior to the younger employees, and, when their date of birth also becomes same, their relative seniority shall be determined on the basis of the first letter of their name in Hindi Alphabet.

(iv) Except when specifically ordered by Honourable Court, the relative seniority of a government servant, joining within one year from the date of issuance of the appointment letter, shall be determined in the year of appointment. Provided, in case of joining after one year from the date of issuance of the appointment letter, the relative seniority shall be determined in the joining calender year.

(v) In a calendar year, the employee appointed by promotion to the basic grade of a service/cadre shall rank senior to the employees appointed by direct recruitment, in the same calendar year. Provided employees appointed by direct recruitment in a calendar year shall rank senior to the employees appointed on other grounds (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), in that calendar year.

(vi) If an officer is absorbed from one service to another on his own request, the services rendered by him on the previous post shall not be counted for determination of his seniority in new service.

Provided that if such absorbtion is on a post of same or lower pay level, in the light of a policy decision taken by the Government, the services rendered by him on the previous post shall be counted for determination of his seniority in new service.

Provided also that if such absorbtion is on a post of higher pay level, in the light of a policy decision taken by the Government, the provision regaring determination of seniority of concerned employees, in consultation with General Administration Department and Finance Department, shall be specifically incorporated in the policy decision itself.

(vii) The relative seniority of officers promoted in any service/cadre shall remain the same as their existing relative seniority before promotion.

(viii) The relative seniority of the employees in any service/cadre, determined before the notification of these Rules, shall remain unchanged.]

6. **Power to relax.-** The government may relax any provision of these Rules, where the government is satisfied that there are good and sufficient reasons, to be recorded in writing, for the same.

7. Over-riding effect.- Notwithstanding any provision contained contrary to the provisions of these Rules, in a Service/Cadre Rules of the State Government, the provisions of these Rules shall have over-riding effect.

8. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter will be referred to the General Administration Department, and the decision of the department, after consultation with the Law Department, shall be final.

9. Repeal and Saving. - (1) The related provisions of relevant Cadre Rules of the A State Government shall be deemed to be repealed. The concerned Department shall amend the relevant Cadre Rules accordingly after getting it vetted by the Law Department.

<sup>4</sup>[(a) The provisions contained in circular no. 15784 dated 26.08.1972 and 2763 dated 23.02.2016 of General Administration Department shall be deemed to be repealed.]

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken, under the provisions of the previous resolution/instructions, will be deemed to be done or taken under these Rules, as if it were come into force on such day, on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar

•

# Sd/-

# (Dr. B. Rajendar)

Principal Secretary to the Government

## Memo No.-3/M-31/2023-GAD-- 3454 / Patna-15, Dated-28 February, 2024

Copy forwarded to E-Gazette Cell, Finance Department, Bihar, Patna for publication in the forthcoming issue of Government Gazette.

Sd/-

(Dr. B. Rajendar)

Principal Secretary to the Government

#### Memo No.-3/M-31/2023-GAD-- 3454 / Patna-15, Dated-28 February, 2024

Copy forwarded to Chief Secretary, Bihar/All Additional Chief Secretary/ Principal Secretary/Secretary/All Head of the Departments/All Divisional Commissioner/All District Magistrate for information and necessary action.

Sd/-

(Dr. B. Rajendar)

#### Principal Secretary to the Government

## Memo No.-3/M-31/2023-GAD-- 3454 / Patna-15, Dated-28 February, 2024

Copy forwarded to Secretary, Governor Secretariat/Secretary, Office of Lokayukat/Secretary, Bihar Legislature Assembly/Secretary, Bihar Legislature Council/Secretary, Bihar Public Service Commission/ Secretary, Bihar Technical Service Commission/Secretary, Bihar Staff Selection Commission for information and necessary action.

Sd/-

(Dr. B. Rajendar) Principal Secretary to the Government

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Inserted by Notification No.-2160 dated 05.02.2025

निबंधन संख्या पी0टी0-40





## 10 फाल्गुन 1945 (श0) (सं0 पटना 171) पटना, वृहस्पतिवार, 29 फरवरी 2024

सामान्य प्रशासन विमाग

अधिसूचना

28 **फरवरी** 2024

सं॰ 3 / एम0-31 / 2023-सा0प्र0-3454--भारत-संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नव-नियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं--

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्म।- (1) यह नियमावली "बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
- परिमाषाएँ ⊢ जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में–
  - (i) राज्य सरकार से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार;
  - (ii) "सरकारी सेवक" से अभिप्रेत है, संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में विहित प्राक्धानों के आलोक में बिहार सरकार की सेवा में नव-नियुक्त व्यक्ति (बिहार न्यायिक सेवा को छोडकर);
  - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा∕ संवर्ग नियमावली में यथानिर्धारित नियुक्ति प्राधिकार;
  - (iv) "संवर्ग नियंत्री प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा / संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्री प्राधिकार;
  - (v) "विभाग" से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्री विभाग;
  - (vi) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार तकनीकी सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग;

- (vii) केन्द्रीय परीक्षा समिति से अभिप्रेत है विभिन्न पदों पर नियुक्त सरकारी सेवकों के लिये विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पर्यद के नियंत्रणाधीन केन्द्रीय परीक्षा समिति:
- (viii) विभागीय परीक्षा से अभिप्रेत है संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथानिर्घारित विभागीय परीक्षा;
- (x) 'प्रवेशकालीन प्रशिक्षण' से अभिप्रेत है संबंधित नव-नियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण।
- 3. परिवीक्ता अवधि आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्प तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोपजनक नहीं होने पर इसे 01 (एक) और वर्प के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोपजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- प्रशिक्षण I— (1) आयोग की अनुशंसा से सेवा में नियुक्त सरकारी सेवक को परिवीक्षा अवधि में विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
  - (2) प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।
  - (3) प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 01 (एक) वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा/संवर्ग के कर्मियों (बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर) के लिए एक वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जायेगा---
    - (क) प्रथम चरण- सभी सेवाओं/ संवर्गों के लिए 02(दो) माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम (Institutional Orientation Programme), जिसे बिपार्ड द्वारा आयोजित किया जायेगा। इसमें प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों (आचार नियमावली, बिहार सेवा संहिता, सी0सी0ए0 रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक/ सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाम, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार पिंश एवं अन्य सम-सामयली, विधार प्रक्रिया जीव प्रक्रिया, विधान बनाने की प्रक्रिया, लोक/ सेवा शिकायत निवारण, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवान्तीय लाम, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली, विधिक प्रबंधन एवं न्यायालयीय प्रक्रिया आदि) एवं अन्य सम-सामयिक विपयों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों के लिए भारत-दर्शन का भी प्राक्ष्यान किया जा सकता है।
    - (ख) दितीय चरण— सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 03(तीन) माह का सेवा से संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण, जिसे संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड अथवा अपने प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जायेगा। इस हेतु संबंधित नियंत्री विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जायेगा, जिनसे समन्वय स्थापित कर बिपार्ड द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदण्ड (Module) निर्धारित किया जायेगा।
    - (ग) ततीय घरण-- सभी सेवाओं / संवर्गों के लिए 06(छ) माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र सम्बद्धता (Field Attachment), जिसका निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग-अलग किया जायेगा। इसमें यह ध्यान रखा जायेगा कि प्रशिक्षणार्थियों को क्षेत्र में उन्हीं पदाधिकारियों के साथ सम्बद्ध किया जाय, जिनके दायित्व उनके सेवा से संबंधित दायित्वों से मिलते हों। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी को अपर समाहत्ती/भूमि सुधार उप-समाहर्ता के साथ, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ, सहायक अभियंता को कार्यपालक अभियंता के साथ आदि। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों से अपने सेवा से संबंधित विपयों पर कुछ प्रकल्प (project) तैयार करने की मी अपेक्षा की जायेगी। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा भविष्य में स्वतंत्र प्रभार में धारित किये जाने वाले पद की कार्य प्रकृति की जानकारी के लिए उसके अधीनस्थ पदों का स्वतंत्र प्रभार देकर प्रशिक्षित किया जायेगा। उदाहरण के लिए--- राजस्व अधिकारी को एक माह को अंचल निरीक्षक के पद का तथा एक माह अमीन/राजस्व कर्मचारी के पद का स्वतंत्र प्रमार प्रशिक्षण के क्रम में दिया जायेगा। बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में प्रशिक्षणार्थियों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी के पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू है।
    - (घ) चतुर्थ चरण- सभी सेंवाओं/संवर्गों के लिए 01(एक) माह का अन्तिम सांस्थिक प्रशिक्षण, जिसे बिपार्ड द्वारा बिपार्ड में आयोजित किया जायेगा। इस चरण में प्रशिक्षणार्थी अपने प्रकल्प (project) पर प्रस्तुतीकरण (Presentation) देंगे। इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के विभिन्न विमागों में भी सम्बद्ध किया जायेगा।

. .

- (4) तृतीय चरण के प्रशिक्षण के लिए सभी प्रशासी विभागों द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर अलग-अलग नियम पुस्तिका (Manual) तैयार किया जायेगा। सचिव, भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों एवं बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों के लिए नियम पुस्तिका (Manual) तैयार करने की कार्रवाई की जायेगी।
- (5) राज्य सरकार में नव-नियुक्त चिकित्सकों के प्रशिक्षण हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिपार्ड से समन्वय स्थापित कर नियम पुरितका (Manual) तैयार किया जायेगा।
- (6) अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा/ संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि/चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित संवर्ग नियंत्री विमाग द्वारा किया जा सकेगा।
- 5. सेवा सम्पुष्टि ।- परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोपजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विमागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा संबंधित सेवा/ संवर्ग नियमावली में सेवा सम्पुष्टि हेतु निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के उपरान्त सरकारी सेवक की सेवा सम्पप्ट की जा संकेगी।
- 6. शिथिलिकरण की राक्ति जहाँ सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस नियमावली के किन्हीं प्रावधानों को शिथिल किया जा सकेगा।
- अभिभावी प्रमाव I- राज्य सरकार की किसी सेवा/ संवर्ग नियमावली में, इस नियमावली से मिन्न किसी प्राक्धान के रहते हुए भी, इस नियमावली के प्राक्धानों का अभिमावी प्रभाव होगा।
- 8. निर्वचन इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विपय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जायेगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श के पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया विनिष्ट्य अंतिम होगा।
- 9. निरसन एवं व्यावृत्ति (1) राज्य सरकार की प्रासंगिक संवर्ग नियमाबलियों के संगत प्राक्धान निरसित समझे जायेंगे। संबंधित विमाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को, विधि विमाग से विधिक्षा कराकर, तदनुरूप संशोधित कर लिया जायेगा।
  - (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, पूर्व में निर्गत नियमावली / परिपत्र / आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई, इस नियमावली के अधीन किया गया या की गई समझी जायेगी, मानों यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य किया या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, ठॉ0 बी0 राजेन्दर, सरकार के प्रधान सचिव।

#### 28 फरवरी 2024

सं० 3/एम०–31/2023-सा0प्र0-3455, अधिसूचना संख्या 3454, दिनांक-28.02.2024 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार--राज्यपाल के आदेश से, ढॉo बीo राजेन्दर, सरकार के प्रधान सचिव।

#### The 28<sup>th</sup> February 2024

No. 3/M-31/2023-GAD-3454--In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make the following Rules to regulate the probation period of newly appointed government servents--

- 1. Short title, extent and commencement.— (1) These Rules may be called as the "Probation period of Bihar Government Servants Rules, 2024."
  - (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.
- 2. Definitions.- In these Rules, unless otherwise required in the context,-
  - (i) "State Government" means the State Government of Bihar;
    - (ii) "Government Servant" means a person newly appointed, in the service of the Government of Bihar (except Bihar Judicial Service),

according to the provisions prescribed in the relevant service/cadre rules;

- (iii) "Appointing Authority" means the appointing authority as prescribed in the concerned service/cadre rules, constituted for the post held by the concerned Government servant;
- (iv) "Cadre Controlling Authority" means the cadre controlling authority as prescribed in the concerned service/cadre rules constituted for the post held by the concerned Government servant.
- (v) "Department" means the controlling department of the Government servant under consideration under these rules;
- (vi) "Commission" means the Bihar Public Service Commission/Bihar Technical Service Commission/Bihar Staff Selection Commission or any other Commission constituted by the Government for recruitment of government employees;
- (vii) "Central Examination Committee" means the Central Examination Committee under the control of the Board of Revenue for the conduct and regulation of departmental examinations for Government servants appointed to various posts;
- (viii) "Departmental Examination" means the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee for the post held by the Government servant concerned;
- (ix) "Induction Training" means the induction training as prescribed for the post held by the newly appointed government servant concerned.
- 3. Probation period.—The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, will be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.
- 4. Training.---(1) A government servant appointed to the service on the recommendation of the Commission will have to undergo induction training as prescribed by the department during the probation period.
  - (2) During the training period, the concerned government servant will also have to pass the examination as prescribed by the training institute.
  - (3) The duration of induction training will be of 01 (one) year. The one year induction training for all service/cadre employees (except Bihar Judicial Service) selected by the Commission will be divided into the following stages-
  - (a) First Phase—Institutional Orientation Program of 02 (two) months for all services/cadres, will be organized by Bipard. Along with the personality development of the trainees, training regarding the general rules (Conduct Rules, Bihar Service Code, CCA Rules, Traveling Allowance Rules, Right to Information, Right to Bihar Public Services, Court Procedure, Legislation Making Procedure, Public/Service Grievance Redressal, Bihar Executive Rules, Retirement Benefits, Bihar Pension Rules, Bihar Finance Rules, Litigation Management and Court proceedings etc) and other contemporary subjects prevalent in the state government, will be imparted in this phase. Bharat Darshan will also be organised for trainees in this phase.
  - (b) Second phase—Service related specific training for 03 (three) months for all services/cadres, which will be organized by the concerned cadre

controlling department in Bipard or in their own training institute. A nodal officer will be nominated by the concerned controlling department. Bipard will decide the module for training in this phase in consultation with this nodal officer.

- Third phase-Service related 06 (six) months field attachment for all (c) services/cadres, will be decided separately by the concerned cadre controlling department in co-ordination with Bipard. It will be taken into consideration that the trainees should be associated with only those officials in the field, whose duties match with their service related duties. For example, the Revenue Officer should be attached with the Additional Collector/DCLR, the Block Development Officer should be attached with the Deputy Development Commissioner, Assistant Engineer should be attached with Executive Engineer etc. The trainees will also be expected to prepare some projects on topics related to their respective services. In this phase, the trainees should be given independent charge of the posts, subordinate to the post on which he was appointed, to make him familiar with the job requirement of the post to be held by him. For example, a Revenue Officer shall be given independent charge of the post of Circle Inspector and Amin/Revenue employee for one month each as part of training. The provision for giving independent charge of BDO and CO during training is already prevalant for probationers of Bihar Administrative Service.
- (d) Fourth phase—Final institutional training of 01 (one) month for all services/cadres will be organized by BIPARD in BIPARD. In this phase, the trainees will give a presentation of their project work. In this phase, they will also be attached to various departments of the Secretariat for secretariat training.
- (4) For the third phase of training, separate manuals will be prepared by all the administrative departments in coordination with Bipard. The Secretary, Building Construction Department will prepare rule book (manuals) for all works departments in co-ordination with other works departments and Bipard.
- (5) Health Department will prepare rule book (manuals) for Doctor appointed in the State Government in co-ordination with Bipard.
- (6) The cadre contolling department may suitably amend the training period/phase for non-gazetted employees as per the specific requirement of service/cadre.

5. Service Confirmation - The service of the government employee shall be confirmed after satisfactory completion of the probation period, completion of prescribed induction training, passing in all the papers of prescribed departmental examination and fulfilling other conditions prescribed for service confirmation in the relevant service/cadre rules.

6. Power to relax.- The government may relax any provision of these Rules, where the government is satisfied that there are good and sufficient reasons, to be recorded in writing, for the same.

7. Over-riding effect.- Notwithstanding any provision contained contrary to the provisions of these Rules, in a Service/Cadre Rules of the State Government, the provisions of these Rules shall have over-riding effect.

8. Interpretation.- Where any doubt arises as to the interpretation of any of the provisions of these rules, the matter will be referred to the General Administration

Department, and the decision of the department, after consultation with the Law Department, shall be final.

9. Repeal and Saving. - (1) The related provisions of relevant Cadre Rules of the State Government shall be deemed to be repealed. The concerned Department shall amend the relevant Cadre Rules accordingly after getting it vetted by the Law Department.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken, under the provisions of the previous resolution/instructions, will be deemed to be done or taken under these Rules, as if it were come into force on such day, on which such thing was done or such action was taken.

By the order of the Governor of Bihar. Dr. B. Rajendar, Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । बिहार गजट (असाधारण) 171-571+10-डी0टी0पी0 । Website: <u>http://egazette.bih.nic.in</u>

निबंधन संख्या पी0टी0-40





16 माथ 1946 (श0)

पटना, बुभवार, 5 फरवरी 2025 (सं0 घटना \$8)

#### মানান্য মহামেন বিশাণ

#### माविसलना

#### **5 फरवरी 2025**

तंa 3/एम0-31/2023-2160/ता0प्र0---मारत-संविधान के अनुकोद-309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024" का संशोधन करने के लिए मिम्नसिखित निवमावली बनाते हैं 🖛

1. संमिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्म।--

- (1) यह नियमावली "विहार त्तरकारी सेवक की परिवीक्ता अवधि (संशोधन) निवमावली, 2026" कही जा सकेगी।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
  - (3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. विहार सरकारी सेवक की परिविद्या अवधि निवनायली, 2024 के निवन-3 का प्रतिस्थापन --उक्त नियमावली के निवम-३ को निम्नलिखित हारा प्रतिष्वापित किया जाता है-

'३. परिवीक्ता अवमि ⊢

- आयोग की अनुसंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) (1) (i) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अयचि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
  - सीधी भर्ती से मिल्न आधार (अनुकृम्पा/मेवावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेषक मी 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक (ii) नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सलोगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोबजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- आयोग की अनुरांसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीमा अवधि उस तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी, जिस तिथि को इनके द्वारा विपार्ड में (2) (i) प्रवेशकालीन प्रशिष्टण हेतु योगदान दिया जायेगा।

(ii) सीधी मर्सी से मिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी यिलाझी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारम्म मानी जायेगी। परन्तु संबंधित प्रशासी विमाग द्वारा इन्हें बिपार्ड के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा।

1

- (3) किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर अनुशांसित अभ्यर्थियों की सूची आयोग द्वारा संबंधित प्रशासी विभाग को उपसब्ध करायी जायेगी। तदुपरान्त सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिपार्ड एवं अन्य प्रशासी बिभागों के परासर्श से प्रवेशकातीन प्रशिक्षण की तिथि निर्धारित की जायेगी। सभी संबंधित प्रशासी विमागों द्वारा उक्त निर्धारित तिथि के पूर्व अनुशसित अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा कर निर्गत कर दिया जायेगा। सभी नव-नियुक्त सरकारी सेवक बिपार्ड द्वारा निर्धारित तिथि को ही प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में योगदान करेंगे।
- (4) संबंधी प्रशासी विभाग द्वारा आयोग की अनुशंसा के आधार पर सौधी भर्सी से नियुक्त सरकारी सेवकों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि में ही उनके प्रमाभपत्र का सत्यापन. चरित्र एवं पूर्वदृत्त का सत्यापन आदि से संबंधित कार्रवाई पूर्ण कर ली जायेगी।
- (5) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी मर्सी से नियुक्स सरकारी सेवकों का फॉर्म-202 में योगदान बिपार्ड द्वारा ही स्वीकृत किया जायेगा तथा उनका HRMS में On boarding तथा आवश्यकतानुसार PRAN आबंटित कराने की कार्रवाई भी बिपार्ड द्वारा ही कराया जायेगा। इस आधार पर वित्त (वैठदाठनिठकोठ) विमाग/ HRMS द्वारा निर्गत उनके वेतन पूर्जा के आधार पर प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवबि के वेतन का भुगतान संबंधित प्रशासी विमाग द्वारा मुख्यालय से ही किया जा सकेगा।
- (6) सीधी भर्सी से नियुक्त सरकारी सेवकों द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण प्रारम्भ होने के उपरान्त विलम्ब से योगदान करने हेतु संबंधित प्रशासी विभाग की अनुमति लेनी होगी।
- (7) बिपार्ड के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में अधिकतम 15 दिनों के विलम्ब तक ही सम्मिलित होने की अनुमति बिपार्ड द्वारा दी जा सकेगी। 15 दिनों से अभिक विलम्ब की स्थिति में संबंधित नव-नियुक्त सरकारी सेवक को बिपार्ड द्वारा आयोजित किये जाने वाले अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित होने का अवसर दिया जायेगा, परन्तु इस स्थिति में संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा उनकी परिवीक्षा अवसि विस्तारित की जायेगी।"

3. बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमायली, 2024 के निवन-4 में उपनियम-(7) जोड़ा जाना – उक्त नियमावली के नियम-4 में उपनियम-(6) के बाद उपनियन-(7) निम्नवत् जोड़ा जाता है--

(7) किसी सेवा/संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आवार पर, सरकार, विमाग की अनुजंसा एवं सामान्य प्रशासन विमाग की सहमति से, विशिष्ट आदेश द्वारा, संबंधित सेवा/संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित कर सकेगी।

परन्तु, प्रशिक्षण अवधि के ऐसे विस्तार के उपरांत भी संबंधित कर्मी की परिषीक्षा अवधि एक वर्ष ही रहेगी।"

4. बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 के नियम-5 का प्रतिस्थापन ।--उक्त नियमावली के नियम-5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है-

- '5. सेवा सम्पुष्टि एवं वरीयता का निर्धारण |-
  - (1) सेवा सम्पुष्टि-
    - (i) आयोग की अनुशंसा से सीधी मर्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी-
      - (क) नियम-4 में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी घरण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/ Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;
      - (ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्बद द्वारा यथानिर्धारित विमागीय परीक्षा के समी यत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना;
      - (ग) संबंधित सेवा/ संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।
    - (ii) सीधी मर्ती से मिन्न आधार (अनुकम्पा / नेषावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा संकेगी-
      - (क) नियम-4(6) के प्रावधान के आलोक में यथानिर्धारित प्रवेशकासीन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/Assignment पूरा करना सम्मिलित होगाः

#### बिहार गजट (असाबारण), 5 फरवरी 2025

- (ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विमागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना;
- (ग) संबंधित सेवा/संवर्गीय नियनावली में क्यानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करना।
- (jii) सरकारी सेवकों को केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा क्यानिर्धारित विभागीय परीक्षा के समी पत्रों एवं संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा/ Assignment में अधिकतम अंक लाने का प्रयास करना होगा क्योंकि इसकी अधिमानता संबंधित सरकारी सेवकों के पारस्परिक वरीयता के निर्धारण में भी दिया जायेगा।

#### (2) वरीयता का निर्मारन-

(i) बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुर्शसित एवं सीमी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकासीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केम्द्रीय परीक्षा समिति. राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को निम्नवत् अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) के अवरोही क्रम में किया जायेगा। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) की गणना निम्मवत् की जायेगी-

क. स.	परीक्षा / प्ररिप्तवण	<b>তু</b> ল মান্দাক	कुल निर्वारित अंक	अधिमानता	अधिमानता निर्घारण का सूत्र		
1.	आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा	X	Y	66 %	(X/Y)×100 ×0.66=(X/Y) × 66		
2.	प्रवेशकालीन प्रशिक्षण						
-	प्रथम चरण	Α	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06=(A/B) × 06		
İ	हितीय चरम	A	B	06 %	(A/B)×100 ×0.06=(A/B) × 06		
	ततीय चरण	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06=(A/B) × 06		
	चतुर्थ चरण	A	B	06 %	(A/B)×100 ×0.06-(A/B) × 06		
3.	विभागीय परीक्षा	C	D	10 %	(C/D)×100 ×0.10-(C/D) × 10		
<del>ا ``</del>	<u>.</u>		कुल	100%	Z		

परन्तु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशॉसित एवं सौधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधासूची के अवरोही क्रम में किया जायेगा।

- (ii) किसी पंचांग वर्ष में सीबी मर्सी से मिन्न आधार (अनुकम्पा/मेघावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जायेगा।
- (iii) आयोग की अनुशांसा से किसी सेवा/संवर्ग में सीधी भर्सी से नियुक्त सरकारी सेवकों की अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) समान होने पर अधवा सीधी भर्ती से मिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान की तिथि समान होने पर अधिक उम्र वासे सरकारी सेवक वरीय होंगे और जन्म तिथि मी समान होने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- (iv) माननीय न्यायालय के किसी अण्यथा आदेश को छोड़कर, सीधी भर्ती के मामलों में, आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अम्दर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी दरीयता नियुक्ति वर्ष में निर्धारित की जायेगी। परन्तु आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष/वर्षों में योगदान देने की स्थिति में छनकी वरीयता आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में न होकर योगदान वाले पंचांग वर्ष में निर्धारित की जायेगी।

3

- (v) किसी पंचांग वर्ष में किसी सेवा/संवर्ग के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्सी से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे परन्तु सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में अन्य आधार (अनुकम्पा/मेधाबी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।
- (vi) यदि किसी पदाधिकारी को उसके अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में समायोजित किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए नहीं गिनी जायगी।

परन्तु सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन समान/निम्नतर वेतनमान/वेतन-स्तर के पद पर किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए गिनी जायेंगी।

परन्तु यह भी कि सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन उच्चतर देतनमान/देतन-स्तर के पद पर किया जाय, तो समायोजन के क्रम में ही संबंधित प्रशासी विमाग द्वारा, सामान्ध प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से, वरीयता निर्धारण के संदर्भ में भी विशिष्ट निर्णय लिया जायेगा।

- (vii) किसी सेवा/संवर्ग में प्रोग्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीवता वडी होगी, जैसी पारस्परिक वरीयता प्रोग्नति के पहने निर्वारित थी।
- (viii) किसी सेवा/संवर्ग में नियत तिथि के पूर्व निर्धारित वरीयता अपरिवर्तनीय होगी।"

6. बिहार संरकारी सेवक की परिवीक्षा जबचि नियमावली, 2024 के नियम-9 में जन्तःस्थापन -उक्त नियमावली के नियम-9 में उपनियम-(1) (क) निम्नलिखित द्वारा अन्तःस्थापित किया जाता है-

"(1)(क) सामान्य प्रशासन विमाग का परिपन्न संख्या—15784 दिनांक—28.08.1972 तथा 2783 दिनांक 23.02.2016 एतद्धारा निरसित किया जाता है।"

> बिहार--राज्यपाल के आदेश से, डॉ० बी० राजेन्दर, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

#### **ठ फ**रकरी 2025

सं० 3 / एम०--31 / 2023--2161 / अषिखूषमा संख्या 2160, दिनांक 5 फरवरी 2025 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो मारत--संविधान के अनुष्छेद 348 के खंड(3) के अधीम अँग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> बिहार-राज्यपाल के आदेश से. ढॉं० बी० राजेन्दर, सरकार के अपर मुख्य सचिव।

#### The 5<sup>th</sup> February 2025

No.-3/M-31/2023-2160/GAD—In exercise of the powers conferred under proviso to the Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar makes the following Rules to amend the "Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024"—

- 1. Short title, extent and commencement.--
  - (1) These Rules may be called as the "Probation Period of Bihar Government Servants (Amendment) Rales, 2025."
  - (2) It shall extend to the whole State of Bihar.
  - (3) It shall come into force at once.

# 2. Substitution of Rule-3 of Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.- Rule-3 of the said rules shall be substituted as follows-

#### "3. Probation Period.—

(1) (i) The government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated,

#### बिहार गजट (असाबारण), 5 फरवरी 2025

.....

- (ii) The government servants, appointed by provisions other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be on probation for 01 (one) year. The probation period may be extended for 01 (one) more year, if the service is not satisfactory during the probation period. If the service is not satisfactory even in the extended period, the service may be terminated.
- (2) (i) The probation period of government servants, appointed by direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall start on the date on which they join the induction training in Bipard.
  - (ii) The probation period of government servants, appointed by provisions other than direct recruitment (Compassionste/Meritorious Sportsperson etc.), shall start on the date on which they join the service. Provided that, the concerned administrative department will ensure their joining in the next induction training session of Bipard.
- (3) The list of recommended candidates based on the results of any competitive examination shall be made available by the Commission to the concerned administrative department. Thereafter, the date of induction training shall be decided by the General Administration Department in consultation with Bipard and other administrative departments. Appointment letters of the recommended candidates shall be issued by all concerned administrative departments before the above stipulated date after completing the necessary formalities. All newly appointed government servants shall join the induction training session on the date decided by Bipard.
- (4) On the basis of the recommendations of the Commission, the relevant administrative department shall complete the formalities related to verification of certificates, verification of character and antecedents etc. of directly recruited government servants during their induction training period itself.
- (5) The joining in Form-202, of the government servants, appointed through direct recruitment on the basis of the recommendation of the Commission, shall be accepted by Bipard itself and the process of onboarding them on HRMS and allotment of PRAN shall also be facilitated by Bipard. On this basis, the Finance (Personal Claim Fixation Cell) Department shall issue their payslip and the concerned administrative department shall arrange for payment of the salary of induction training period from the headquarters itself.
- (6) After the commencement of induction training in BIPARD, the government servants, appointed through direct recruitment, shall have to take permission from the concerned administrative department for late joining in induction training.
- (7) A maximum of 15 days late joining in induction training shall be permitted by BIPARD after commencement of training. In case of delay of more than 15 days, the concerned newly appointed government servant shall be given an opportunity to attend the next induction training session organized by BIPARD. Provided that in such situation, the probation period of the concerned employee shall be extended by the concerned administrative department.

3. Addition of Subruis-(7) after Subrule (6) of Rule (4) in Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.—After Subrule-(6) of Rule-4 of the said rules, Subrule-(7) shall be added as follows-

> "On the basis of specific requirements of a service/cadre, the State Government, on the recommendation of the Department and concurrence of General Administration Department, may extend, by specific order, the induction training period of newly appointed members of the said service/cadre.

> Provided that, the probation period of such employees will remain one year even after such extension of induction training period."

4. Substitution of Rule-5 of Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.— Rule-5 of the said rules shall be substituted as follows-

#### "5. Service Confirmation and Determination of Seniority.-

(1) Service Confirmation-

- (i) The service of government servants, appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission, shall be confirmed after fulfilling the following criterion-
  - (a) Successful completion of all the phases of induction training as prescribed in Rule-4, which includes successful completion of the examinations/ assignments as prescribed by the concerned training institute;
  - (b) Passing all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue;
  - (c) Fulfilling all other requirements as prescribed in the relevant service/ cadre Rules.
- (ii) The service of government servants, appointed on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be confirmed after fulfilling the following criterion-
  - (a) Successful completion of the induction training as prescribed in Rule-4(6), which includes successful completion of the examinations/ assignments as prescribed by the concerned training institute;
  - (b) Passing all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue;
  - (c) Fulfilling all other requirements as prescribed in the relevant service/cadre Rules.
- (iii) Government servants shall have to try to score maximum marks in all the papers of the departmental examination as prescribed by the Central Examination Committee, Board of Revenue as-well-as in the examinations/ assignments as prescribed by the concerned training institute as their due weightage shall also be given in determining their relative seniority.
- (2) Determination of Seniority-
  - (i) The relative seniority of government servants, recommended and recruited directly on the basis of Combined Competitive Examination conducted by Bihar Public Service Commission, shall be determined in the descending order of total marks (Z) obtained after giving due weightage to the marks obtained by them in the competitive examination of the Commission,

#### बिहार गजट (असाधारण), 5 फरवरी 2025

-->

examinations/assignments conducted by the concerned training institute in different phases as-well-as departmental examination conducted by Central Examination Committee, Board of Revenue. Weighted total marks (Z) shall be calculated as follows-

SI. No.	Examination/ Training	Total Marks Obtained	Full Marks	Weightage	Formula for Weighted marks determination		
1.	Competititive Examination Of The Commission	X	Y	66 %	(X/Y)×100 ×0.66=(X/Y) × 66		
2.	Induction Training						
	First Phase	A	B	06 %	(A/B)×100 ×0.06=(A/B) × 06		
	Second Phase	Α	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06-(A/B) × 06		
	Third Phase	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06¬(A/B) × 06		
	Fourth Phase	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06-(A/B) × 06		
3.	Departmental Examination	С	D	10 %	(C/D) ×100 ×0.10-(C/D) × 10		
		<del></del>	Total	100%	Z		

Provided that the relative seniority of government servant, recommended and recruited directly on the basis of other competitive examinations conducted by Commission, shall be determined according to their descending merit number in the recommendation of the Commission.

- (ii) The inter-se seniority of government servants appointed in a particular calendar year, on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), shall be determined according to their respective date of joining.
- (iii) When total weighted marks (Z) obtained by different employees, appointed through direct recruitment on the recommendation of the Commission, becomes equal, or, the date of joining of different employees, appointed on grounds other than direct recruitment (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), becomes same; the older employee according to his date of birth shall rank senior to the younger employees, and, when their date of birth also becomes same, their relative seniority shall be determined on the basis of the first letter of their name in Hindi Alphabet.
- (iv) Except when specifically ordered by Honourable Court, the relative seniority of a government servant, joining within one year from the date of issuance of the appointment letter, shall be determined in the year of appointment. Provided, in case of joining after one year from the date of issuance of the appointment letter, the relative seniority shall be determined in the joining calender year.
- (v) In a calendar year, the employee appointed by promotion to the basic grade of a service/cadre shall rank senior to the employees appointed by direct recruitment, in the same calendar year. Provided employees

appointed by direct recruitment in a calendar year shall rank senior to the employees appointed on other grounds (Compassionate/Meritorious Sportsperson etc.), in that calendar year.  $( \frown$ 

(vi) If an officer is absorbed from one service to another on his own request, the services rendered by him on the previous post shall not be counted for determination of his seniority in new service.

Provided that if such absorbtion is on a post of same or lower pay level, in the light of a policy decision taken by the Government, the services rendered by him on the previous post shall be counted for determination of his seniority in new service.

Provided also that if such absorbtion is on a post of higher pay level, in the light of a policy decision taken by the Government, the provision regaring determination of seniority of concerned employees, in consultation with General Administration Department and Finance Department, shall be specifically incorporated in the policy decision itself.

- (vii) The relative seniority of officers promoted in any service/cadre shall remain the same as their existing relative seniority before promotion.
- (viii) The relative seniority of the employees in any service/cadre, determined before the notification of these Rules, shall remain unchanged."

5. Insertion in Rule-9 of Probation Period of Bihar Government Servants Rules, 2024.----Sub Rule-1(a) in Rule-9 of the said rules shall be inserted as follows--

"(1)(a) The provisions contained in circular no. 15784 dated 26.08.1972 and 2763 dated 23.02.2016 of General Administration Department shall be deemed to be repealed."

By the order of the Governor of Bihar, Dr. B. Rajender, Additional Chief Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। बिहार गजट (असाधारण) 88-571+10-डी0टी0पी0। Website: <u>http://egezette.bih.nic.in</u>

#### FAQ (Frequently Asked Questions)

- >

# बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 से संबंधित प्रश्नोत्तर—

- प्रश्नः---1 बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 की आवश्यकता/औचित्य क्या है?
- उत्तर:-- बिहार सरकार के सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में कतिपय सेवा/संवर्गों में अलग-अलग प्रावधान थे। इसी प्रकार कतिपय सेवा/संवर्गीय नियमावलियों में सीधी भर्त्ती के उपरान्त प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं था और जिन मामलों में प्रशिक्षण का प्रावधान था, उनमें भी प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की कोई सुव्यवस्थित संरचना नहीं थी। सरकारी सेवकों की वरीयता के निर्धारण के संदर्भ में भी समय-समय पर कार्यपालक आदेशों से प्रावधान किया गया था, जिसका वैधानिक आधार नहीं था।

फलतः सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि एवं उसका विस्तृत कार्यक्रम, सेवा सम्पुष्टि एवं वरीयता निर्धारण के संदर्भ में वैधानिक (Statutory) प्रावधान किये जाने हेतु संविधान की धारा–309 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग कर प्रासंगिक नियमावली अधिसूचित की गयी है।

प्रश्नः--2 नव--नियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि क्या होगी?

- उत्तर:- नियमावली के नियम-3(1) में विहित प्रावधान के आलोक में सीधी भर्ती से अथवा भिन्न आधार (अनुकम्पा / मेधावी खिलाड़ी आदि) से नियुक्त सरकारी सेवक योगदान की तिथि से 01 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01 और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।
- प्रश्न:--3 नव-नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान की तिथि क्या होगी?
- उत्तरः-- नियमावली के नियम-3(2) में प्रावधानित है कि "(i) आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उस तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी, जिस तिथि को इनके द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण हेतु योगदान दिया जायेगा। (ii) सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा∕मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि उनके योगदान की तिथि से प्रारम्भ मानी जायेगी। परन्तु संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा इन्हें बिपार्ड के अगले प्रवेशकालीन प्रशिक्षण सत्र में सम्मिलित कराना होगा।"

स्पष्टतः आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान की तिथि उनके द्वारा बिपार्ड में प्रवेशकालीन प्रशिक्षण में योगदान की तिथि होगी, जबकि सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवक की योगदान की तिथि उनके द्वारा संबंधित विभाग/कार्यालय में योगदान की तिथि होगी। ۰ ب

- प्रश्नः—4 नव—नियुक्त सरकारी सेवकों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि क्या होगी?
- उत्तरः— नियमावली के नियम-4 में विहित प्रावधान के आलोक में नव-नियुक्त सरकारी सेवकों का प्रवेशकालीन प्रशिक्षण 01 वर्ष का होगा। यह प्रशिक्षण 04 चरणों में विभाजित होगा। नियमावली के नियम-4(2) में विहित प्रावधान के आलोक में प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होगी।

प्रश्नः-5 क्या किसी नव-नियुक्त अराजपत्रित सरकारी सेवक के प्रशिक्षण अवधि को परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर:- नियमावली के नियम-4(6) में विहित प्रावधान निम्नवत् है-

"(6) अराजपत्रित कर्मियों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा/संवर्ग की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि/चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग द्वारा किया जा सकेगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी अराजपत्रित सेवा/संवर्ग की आवश्यकता के फलस्वरूप उसके प्रशिक्षण अवधि/चरण में अपेक्षित संशोधन करने हेतु नियमावली के उक्त प्रावधान के आलोक में संबंधित संवर्ग नियंत्री विभाग को ही सक्षम घोषित किया गया है।

परन्तु प्रशिक्षण अवधि⁄चरण में ऐसे किसी संशोधन के बावजूद भी परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष ही रहेगी।

नोटः— (1) सामान्यतया अराजपत्रित सेवा / संवर्ग में एक सम्व्यवहार में सीधी भर्त्ती से नियुक्त किये जाने वाले कर्मियों की संख्या अधिक होती है। वर्णित स्थिति में उक्त प्रावधान के तहत प्रशिक्षण चरणों में अपेक्षित संशोधन करने अथवा प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को पुनर्निधारित (re-arrange) करने के लिए प्रशासी विभाग स्वयं सक्षम है, अर्थात्, ऐसी परिस्थिति में प्रशासी विभाग प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को पुनर्निधारित (re-arrange) करने हेतु स्वयं सक्षम है।

(2) ऐसे पुनर्निर्धारण के बावजूद भी परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष ही रहेगी।

(3) कतिपय अराजपत्रित संवर्ग एक से अधिक विभागों में हैं यथा कनीय अभियंता, शिक्षक आदि। अतः ऐसे मामलों में प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों को पुनर्निर्धारित करने के क्रम में यह सावधानी रखनी होगी कि सभी विभागों के नियंत्रणाधीन समान पद के लिए प्रशिक्षण की समरूप व्यवस्था हो। अतः ऐसे मामलों में समरूपता बनाये रखने के लिए प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों का पुनर्निर्धारण, जिसका अनुसरण सभी संबंधित विभागों द्वारा किया जाय, नोडल विभाग के माध्यम से किया जाना प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित होगा। यदि किसी अराजपत्रित संवर्ग / पद के संदर्भ में नोडल विभाग का प्रावधान नहीं हो, तब बिपार्ड द्वारा ही नोडल विभाग की भूमिका का निर्वहन किया जा सकता है।

परन्तु प्रशिक्षण के विभिन्न चरणों के पुनर्निर्धारण के क्रम में बिपार्ड में आवासीय प्रशिक्षण के लिए कम–से–कम एक चरण निश्चित रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए।

प्रश्नः-6 क्या किसी नव-नियुक्त राजपत्रित सरकारी सेवक के प्रशिक्षण अवधि को परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है?

उत्तर:- नियमावली के नियम-4(7) में विहित प्रावधान निम्नवत् है-

"(7) किसी सेवा/संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं के आधार पर, सरकार, विभाग की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से, विशिष्ट आदेश द्वारा, संबंधित सेवा/संवर्ग के नवनियुक्त कर्मियों के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि को विस्तारित कर सकेगी।

परन्तु, प्रशिक्षण अवधि के ऐसे विस्तार के उपरांत भी संबंधित कर्मी की परिवीक्षा अवधि एक वर्ष ही रहेगी।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि किसी सेवा/संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर संबंधित प्रशासी विभाग की अनुशंसा एवं सामान्य प्रशासन विभाग की सहमति से सरकार संबंधित सेवा/संवर्ग के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण अवधि को 01 वर्ष से आगे भी विस्तारित कर सकती है।

परन्तु प्रशिक्षण अवधि के ऐसे विस्तार के बावजूद भी परिवीक्षा अवधि 01 वर्ष ही रहेगी।

नोटः— यह प्रावधान उन राजपत्रित सेवा/संवर्गों की विशिष्ट आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया है जिनमें सेवा/संवर्ग की विशिष्ट आवश्यकता के कारण 01 वर्ष से अधिक अवधि के प्रशिक्षण की आवश्यकता हो।

उदाहरण के लिए- बिहार पुलिस सेवा।

प्रश्नः--7 क्या बिहार पुलिस सेवा/बिहार पुलिस अवर सेवा के कर्मियों के प्रशिक्षण अवधि में संशोधन किया जाना सम्भव है?

- उत्तरः— बिहार पुलिस सेवा का पद राजपत्रित है तथा बिहार पुलिस अवर सेवा के पद अराजपत्रित हैं। अतः उपरोक्त प्रश्न संख्या—5 एवं 6 के उत्तर से यह स्पष्ट है कि नियमावली के प्रावधान के आलोक में अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ऐसा किया जाना सम्भव है।
- प्रश्नः—8 क्या अवर अभियंता अथवा शिक्षकों के प्रशिक्षण अवधि में संशोधन किया जाना सम्भव है?

को पूरा करना। नोटः--- उपर्युक्त प्रावधान से यह स्वतः स्पष्ट है कि सेवा सम्पुष्ट किये जाने हेतु प्रवेशकालीन प्रशिक्षण (सामान्यतः 01 वर्ष जिसे नियमानुसार संशोधित किया जा सकता है) को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक है। अतः प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करना भी सेवा सम्पुष्टि की अनिवार्य शर्त है।

परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना; (ग) संबंधित सेवा / संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय

प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा / Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;

भिन्न आधार (अनुकम्पा / मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी-(क) नियम-4(6) के प्रावधान के आलोक में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन

नव-नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा सम्पुष्ट किये जाने हेतु अपेक्षित अर्हताएँ क्या हैं? नियमावली के नियम-5(1)(ii) में विहित प्रावधान के आलोक में सीधी भर्त्ती से उत्तर:–

नोटः— उपर्युक्त प्रावधान से यह स्वतः स्पष्ट है कि सेवा सम्पुष्ट किये जाने हेतु प्रवेशकालीन प्रशिक्षण (सामान्यतः 01 वर्ष जिसे नियमानुसार संशोधित किया जा सकता है) को सफलतापूर्वक पूरा करना आवश्यक है। अतः प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करना भी सेवा सम्पुष्टि की अनिवार्य शर्त है। सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर प्रश्नः--10

(ख) केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद द्वारा यथानिर्धारित विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करना; (ग) संबंधित सेवा/ संवर्गीय नियमावली में यथानिर्धारित अन्य अपेक्षाओं

को सफलतापूर्वक पूरा करना, जिसमें इन चरणों में संबंधित प्रशिक्षण संस्थान

नियमावली के नियम—5(1)(i) में विहित प्रावधान के आलोक में आयोग की उत्तर:– अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की सेवा निम्न अपेक्षाएँ पूरी करने के उपरान्त सम्पुष्ट की जा सकेगी-(क) नियम-4 में यथानिर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के सभी चरण

द्वारा यथानिर्धारित परीक्षा / Assignment पूरा करना सम्मिलित होगा;

को पूरा करना।

अपेक्षित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए ऐसा किया जाना सम्भव है। आयोग की अनुशंसा से सीधी भर्त्ती से नव-नियुक्त सरकारी सेवकों प्रश्न:-9 की सेवा सम्पूष्ट किये जाने हेतू अपेक्षित अर्हताएँ क्या हैं?

अवर अभियंता अथवा शिक्षक का पद अराजपत्रित है। अतः उपरोक्त प्रश्न उत्तर:--संख्या-5 के उत्तर से यह स्पष्ट है कि नियमावली के प्रावधान के आलोक में

.

प्रश्नः—11 बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 में आयोग से क्या तात्पर्य है?

-1

उत्तरः— नियमावली के नियम—2(vi) में आयोग की परिभाषा निम्नवत् दी गयी है— " "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ∕ बिहार तकनीकी सेवा आयोग ∕ बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग।"

- प्रश्नः—12 बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
- उत्तरः— उक्त संदर्भ में नियमावली के नियम—5(2)(i) में निम्नवत् प्रावधान किया गया है—

"बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की परीक्षा के प्राप्तांक, प्रवेशकालीन प्रशिक्षण के विभिन्न चरण में प्राप्त अंक तथा केन्द्रीय परीक्षा समिति, राजस्व पर्षद् द्वारा आयोजित विभागीय परीक्षा के प्राप्तांक को निम्नवत् अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) के अवरोही क्रम में किया जायेगा। अधिमानता के आधार पर प्राप्त कल अंक (Z) की गणना निम्नवत की जायेगी—

				्राणिमानना	अधिमानता निर्धारण
क्र	परीक्षा /	कुल	कुल निर्धारित	अधिमानता	
. सं.	प्रशिक्षण	प्राप्तांक	র্জক 🔤		का सूत्र
1.	आयोग की	X	Y	66 %	(X/Y)×100 ×0.66=
••	प्रतियोगिता				(X/Y) × 66
	परीक्षा				
					l
2.	प्रवेशकालीन प्रशि	ାଧ୍ୟାଏ		<b>-</b>	
	प्रथम चरण	A	B	06 %	(A/B)×100 ×0.06=
					(A/B) × 06
	द्वितीय चरण	A	В	06 %	(A/B)×100 ×0.06=
1					(A/B) × 06
	तृतीय चरण	Α	В	06 %	$(A/B) \times 100 \times 0.06 =$
		1			(A/B) × 06
	चतूर्थ चरण	A		06 %	(A/B)×100 ×0.06=
	1.34 4.1				(A/B) × 06
3.	विभागीय	c	D	10 %	(C/D)×100 ×0.10=
<sup>3</sup> .			_		(C/D) × 10
ļ	परीक्षा		<u>_</u>	1000/	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			कुल	100%	Z

नोट:-- वरीयता निर्धारण का उक्त वर्णित प्रावधान मात्र बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवकों के संदर्भ में है। बिहार लोक सेवा आयोग की किसी अन्य परीक्षा की अनुशंसा अथवा किसी अन्य आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवकों की वरीयता निर्धारण के लिए उक्त वर्णित प्रावधान प्रभाव नहीं है बल्कि ऐसे मामलों में नियमावली के नियम–5(2)(i) के परन्त्क का प्रावधान प्रभावी होगा।

- प्रश्नः—13 बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों का अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) समान होने पर उनकी पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
- उत्तर:- नियमावली के नियम-5(2)(iii) में विहित प्रावधान के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग की संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से अनुशसित एवं सीधी मर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों का अधिमानता के आधार पर प्राप्त कुल अंक (Z) समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे और जन्म तिथि भी समान होने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।
- प्रश्नः—14 आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित एवं सीघी मर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
- उत्तरः— उक्त संदर्भ में नियमावली के नियम–5(2)(i) के परन्तुक में निम्नवत् प्रावधान किया गया है–

"परन्तु आयोग की अन्य परीक्षाओं के आधार पर अनुशंसित एवं सीधी भर्त्ती से नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण आयोग की मेधासूची के अवरोही क्रम में किया जायेगा।"

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से भिन्न किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा आयोजित किसी प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर अनुशंसित एवं नव—नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण संबंधित आयोग की मेधासूची के अवरोही क्रम में किया जायेगा।

- प्रश्नः—15 सीधी भर्त्ती से मिन्न आधार (अनुकम्पा⁄मेघावी खिलाड़ी आदि) पर नव—नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
- उत्तरः— नियमावली के नियम—5(2)(ii) में विहित प्रावधान के आलोक में किसी पंचांग वर्ष में सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा∕मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त सरकारी सेवकों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण उनके योगदान की तिथि के आधार पर किया जायेगा।
- प्रश्नः—16 सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा⁄मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नव—नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान तिथि समान होने पर उनकी पारस्परिक वरीयता का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा?
- उत्तरः— नियमावली के नियम—5(2)(iii) में विहित प्रावधान के आलोक में सीधी भर्त्ती से भिन्न आधार (अनुकम्पा∕मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नव—नियुक्त सरकारी सेवकों की योगदान तिथि समान होने पर अधिक उम्र वाले सरकारी सेवक वरीय होंगे और जन्म तिथि भी समान होने पर हिन्दी वर्णमाला में उनके नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर वरीयता निर्धारित की जायेगी।

प्रश्नः--17 आबंटनादेश/नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के 01 वर्ष के अन्दर योगदान नहीं देने पर संबंधित नव-नियुक्त कर्मी की वरीयता का निर्धारण कैसे होगा?

È

- उत्तर:- नियमावली के नियम-5(2)(iv) में विहित प्रावधान के आलोक में माननीय न्यायालय के किसी अन्यथा आदेश को छोड़कर, सीधी भर्त्ती के मामलों में, आबंटनादेश / नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान करने वाले सरकारी सेवकों की आपसी वरीयता नियुक्ति वर्ष में निर्धारित की जायेगी। परन्तु आबंटनादेश / नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि के एक वर्ष के अन्दर योगदान नहीं देकर अगले वर्ष / वर्षों में योगदान देने की स्थिति में उनकी वरीयता आबंटनादेश / नियुक्ति आदेश वाले पंचांग वर्ष में न होकर योगदान वाले पंचांग वर्ष में निर्धारित की जायेगी।
- प्रश्नः—18 किसी पंचांग वर्ष में सीघी भर्त्ती से नियुक्त, प्रोन्नति से नियुक्त एवं अन्य आधार पर नियुक्त कर्मियों की पारस्परिक वरीयता का निर्घारण कैसे किया जायेगा?
- उत्तर:- नियमावली के नियम-5(2)(v) में विहित प्रावधान के आलोक में किसी पंचांग वर्ष में किसी सेवा/संवर्ग के मूल कोटि के पद पर प्रोन्नति से नियुक्त कर्मी सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे परन्तु सीधी भर्त्ती से नियुक्त कर्मी उस पंचांग वर्ष में अन्य आधार (अनुकम्पा/मेधावी खिलाड़ी आदि) पर नियुक्त कर्मियों से वरीय होंगे।
- प्रश्नः--19 किसी सरकारी सेवक को एक सेवा से दूसरी सेवा में समायोजित करने पर पारस्परिक वरीयता का निर्धारण कैसे होगा?
- उत्तर:- नियमावली के नियम-5(2)(vi) में विहित प्रावधान के आलोक में यदि किसी पदाधिकारी को उसके अनुरोध पर एक सेवा से दूसरी सेवा में समायोजित किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए नहीं गिनी जायगी।

परन्तु सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन समान/निम्नतर वेतनमान/वेतन–स्तर के पद पर किया जाय, तो उसके द्वारा पूर्व पद पर की गई सेवाएँ वरीयता के लिए गिनी जायेंगी।

परन्तु यह भी कि सरकार द्वारा लिए गए किसी नीतिगत निर्णय के आलोक में ऐसा समायोजन उच्चतर वेतनमान/वेतन—स्तर के पद पर किया जाय, तो समायोजन के क्रम में ही संबंधित प्रशासी विभाग द्वारा, सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग के परामर्श से, वरीयता निर्धारण के संदर्भ में भी विशिष्ट निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्नः—20 किसी सेवा/संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता का निर्धारण कैसे होगा?

उत्तरः— नियमावली के नियम—5(2)(vii) में विहित प्रावधान के आलोक में किसी सेवा∕संवर्ग में प्रोन्नत पदाधिकारियों की पारस्परिक वरीयता वही होगी, जैसी पारस्परिक वरीयता प्रोन्नति के पहले निर्धारित थी।

- प्रश्नः—21 क्या नियत तिथि के पूर्व किसी सेवा/संवर्ग में निर्धारित वरीयता~ बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 के प्रवृत्त होने से परिवर्तित होगी?
- उत्तरः— नियमावली के नियम—5(2)(viii) में विहित प्रावधान के आलोक में किसी सेवा∕संबर्ग में नियत तिथि के पूर्व निर्धारित वरीयता अपरिवर्तनीय होगी। यहाँ नियत तिथि से तात्पर्य बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली. 2024 के प्रवत्त होने की तिथि 28.02.2024 से है।
- प्रश्नः—22 क्या बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 के प्रवृत्त होने के उपरान्त वरीयता निर्धारण संबंधी सामान्य प्रशासन विमाग से निर्गत पूर्व के परिपत्र संख्या—15784 दिनांक—26.08.1972 तथा 2763 दिनांक—23.02.2016 प्रभावी रहेंगे?
- उत्तरः– नियमावली के नियम–9(1)(क) के प्रावधान के आलोक में बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि (संशोधन) नियमावली, 2025 के प्रवृत्त होने की तिथि 05.02.2025 के प्रभाव से वरीयता निर्धारण संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग से निर्गत पूर्व के परिपत्र संख्या–15784 दिनांक–26.08.1972 तथा 2763 दिनांक–23.02.2016 निरसित कर दिये गये हैं अर्थात् दिनांक– 05.02.2025 से इन परिपत्रों में विहित प्रावधान निष्प्रभावी हो गये हैं।

वस्तुतः प्रासंगिक दोनों परिपत्रों में विहित प्रावधानों को नियमावली में वरीयता निर्धारण के संदर्भ में किये गये प्रावधानों में समाहित किया जा चुका है।